संख्या-32/2019 /596/24-1-19-1833/2015

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक .26 मार्च, 2019**

विषय:-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-173/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/आरईसी/02/400 टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019, पत्र संख्या-178/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/ आरईसी/02/400 टी0सी0, दिनांक 07 फरवरी, 2019, पत्र संख्या-210/मु0म0प्र0 (वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/आरईसी/02/400टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2019, पत्र संख्या-282/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/आरईसी/02/400 टी0सी0, दिनांक 06 मार्च, 2019, पत्र संख्या-290/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/ आरईसी/02/400 टी0सी0, दिनांक 07 मार्च, 2019 एवं पत्र संख्या-302/मु0म0 प्र0(वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/आरईसी/02/400 टी0सी0, दिनांक 11 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 150,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचॉस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 142,41,21,369/- (रूपये एक सौ बयालिस करोड़ इक्तालिस लाख इक्कीस हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र) में से धनराशि रूपये 55,51,55,057/- (रूपये पचपन करोड़ इक्यावन लाख पचपन हजार सत्तावन मात्र) प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत कर आहरित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	धनराशि (रूपये में)
1	3,14,63,976/-
2	21,96,18,933/-
3	2,49,65,944/-
4	12,29,10,115/-
5	5,72,40,100/-

http://srasanadesh.up.nic.in

6	9,89,55,989/-
योग-	**55,51,55,057/-**

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी क्लेम के सापेक्ष दोहरा भुगतान न होने पाये।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण -190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति -30- निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 82 -दस-2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-32/2019/596(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in